

Haridwar

कार्यालय गिलामिकारी, एसिनार।

संख्या- ४६५ / नियमित्यारपण / २०२३

दिनांक - अगस्त ०३ २०२३

कार्यालय-इतिहास

उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या- 3185 / चरिठोराहार-उभियोगो / 2022-23 दरिद्रार दिनांक 31 जुलाई, 2023 में चल्लेख किया गया है कि अधिकारी अधियन्ता, प्रान्तीय राष्ट्रीय लोगोंनियोगी दरिद्रार के द्वारा अपने पत्र संख्या-2022/1 की दिनांक 27.07.2023 से अवधार कराया गया है कि केन्द्रीय रासन किया 2022-23 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में गिरावट बोर्ड ज्यालापुर के ग्राम डालुमला-लालपाला-घनोशी भाग में रिठोराघन्ट के पास रसमऊ नदी की सहायक नदी नामसे में रोतु का नियंत्रण कर्तव्य किया जाना है। जिराकी स्थीकृति परियोजना कार्यान्वयन इवाई(रोतु सिंचाई एवं रूपो) खुलीआरपी०-१०एफ०, उत्तराखण्ड यौवादून के पत्रांक-19/ UGRIDP/ tender/01 दिनांक 19.04.2023 द्वारा रु० 16.13 करोड़ पाँच की निर्मित की जा चुकी है। जिराके दृष्टिकोण रिठोराघन्ट परगना ज्यालापुर चहरील य जिला हरिद्वार के द्वारा रु० 194मि रो 0.33० ग्राम पर जन सुनिया की दृष्टिकोण आवाजाए हेतु रोतु निर्मित किया जाना है। चहरीलदार हरिद्वार से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम रिठोराघन्ट परगना लगभगी चहरील य जनपद हरिद्वार के द्वारा नम्बर 194मि शेषफल 2.243०६० संलग्न शहरीनी के अनुसार नदी श्रेणी 6(1) जलमान भूमि है। उक्ता द्वारा नम्बर 194 की रीएव-45 की छायाप्रति संलग्न की गई है। अन्त में रोतु निर्मित की अनुमति प्रदान करने की संस्थानी राहित आख्या प्रेषित की गई है।

अधिशासी अधियन्ता, प्रान्तीय संष्टि लो०निपिठ०, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांकित 27.07.2023 में यह भी उल्लिखित किया गया है कि उक्त रोतु के निर्माण हेतु लम्बे समय से ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है। इस रोतु के बनाने से लालबाला खालसा, लालबाला मजबता, जरसाधाला कुड़कावाला, डालूपाला, नौकराग्रन्थ, मुजाहिदपुर रातीवाला आदि ग्रामों की कुल आवादी 17572 ग्रामीणों/क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा। उक्त रोतु हेतु ग्राम रितीराग्रन्थ परगना ज़ालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा संख्या-194 म से 0.3०० भूमि पिंगांग को हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी, हरिद्वार की संस्तुति दिनांक 31.07.2023 के आधार पर आपदा से सुरक्षा तथा जन सामान्य की जान-गाल की रक्षा एवं उपरोक्ता/हित को ध्यान में रखते हुए ग्राम रिठौरायन्ट परगना ज्यालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा सख्या-194ग से 0.3हेंड भूमि पर व्यापक जनहित में रोतु के पलोटिंग रद्दवबर निर्माण के लिए इस शर्त के राथ अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि की श्रेणी/रचानिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

दिनांक:-03.08.2023

४०/
(धीराज सिंह गव्याल)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार हरिहार।

२-अधिकारी अभियन्ता, प्राचीन संग्रह, लोमिंदि उरिद्वार।

George II

अधिकारी विजय कुमार

पात्रीय प्रणाल, सोनीमेंटिंग
इंडिया एक्सप्रेस २२

(पी०एल०शाह)

हरिहार।

हरिहर ।

1

85

1